जनजातीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 98

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5262.79	55.00	5317.79	5935.00	65.00	6000.00	5935.00	65.00	6000.00	6814.96	80.00	6894.96
वसूलियां	*-1.16*	...	-1.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**5261.63**	**55.00**	**5316.63**	**5935.00**	**65.00**	**6000.00**	**5935.00**	**65.00**	**6000.00**	**6814.96**	**80.00**	**6894.96**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	22.11	...	22.11	27.76	...	27.76	27.76	...	27.76	30.50	...	30.50
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	10.01	...	10.01	15.06	...	15.06	14.74	...	14.74	16.57	...	16.57
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**32.12**	**...**	**32.12**	**42.82**	**...**	**42.82**	**42.50**	**...**	**42.50**	**47.07**	**...**	**47.07**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
केंद्रीय छात्रवृत्तियां												
3. अजजा के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	99.72	...	99.72	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
4. विदेश में अध्ययन हेतु अजजा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
जोड़-केंद्रीय छात्रवृत्तियां	**100.72**	**...**	**100.72**	**102.00**	**...**	**102.00**	**102.00**	**...**	**102.00**	**102.00**	**...**	**102.00**
जनजातीय संस्थानों को समर्थन												
5. राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति एवं वित्त विकास निगम को समर्थन	...	55.00	55.00	...	65.00	65.00	...	65.00	65.00	...	80.00	80.00
6. जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन (ट्राइफेड आदि)	44.95	...	44.95	54.15	...	54.15	72.50	...	72.50	83.00	...	83.00
7. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता	...	...	...	130.00	...	130.00	120.00	...	120.00	110.00	...	110.00
8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.31	...	0.31
जोड़-जनजातीय संस्थानों को समर्थन	**44.95**	**55.00**	**99.95**	**184.15**	**65.00**	**249.15**	**192.50**	**65.00**	**257.50**	**193.31**	**80.00**	**273.31**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**145.67**	**55.00**	**200.67**	**286.15**	**65.00**	**351.15**	**294.50**	**65.00**	**359.50**	**295.31**	**80.00**	**375.31**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम												
9. जनजातीय शिक्षा												
9.01 मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	294.08	...	294.08	350.00	...	350.00	310.00	...	310.00	340.00	...	340.00
9.02 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1463.91	...	1463.91	1586.00	...	1586.00	1643.03	...	1643.03	1613.50	...	1613.50
9.03 आश्रम विद्यालय	7.00	...	7.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9.04 बालक और बालिका छात्रावास	7.00	...	7.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- जनजातीय शिक्षा	*1771.99*	...	*1771.99*	*1936.00*	...	*1936.00*	*1953.03*	...	*1953.03*	*1953.50*	...	*1953.50*
10. वन बंधु कल्याण योजना												
10.01 विशेष रुप के कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकासकास(पीवीटी जीएस)	239.49	...	239.49	260.00	...	260.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00
10.02 लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	8.59	...	8.59	130.00	...	130.00	97.47	...	97.47	130.00	...	130.00
10.03 अजजा के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	119.94	...	119.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10.04 जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान, सूचना और जन शिक्षा	4.01	...	4.01	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	24.00	...	24.00
10.05 निगरानी और मूल्यांकन	1.27	...	1.27	5.00	...	5.00	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
10.06 जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
10.07 वन बंधु कल्याण योजना	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- वन बंधु कल्याण योजना	*373.30*	...	*373.30*	*420.02*	...	*420.02*	*374.97*	...	*374.97*	*406.52*	...	*406.52*
11. विशेष केंद्रीय सहायता												
11.01 जनजातीय उप-घटकों को विशेष केंद्रीय सहायता (सशुल्क)	1350.01	...	1350.01	1350.00	...	1350.00	1350.00	...	1350.00	1350.00	...	1350.00
12. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए सहायता												
12.01 जनजातीय अनुसंधान संस्थान	79.00	...	79.00	99.99	...	99.99	100.00	...	100.00	99.99	...	99.99
12.02 जनजातीय स्मारक	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए सहायता	*79.00*	...	*79.00*	*100.00*	...	*100.00*	*100.00*	...	*100.00*	*100.00*	...	*100.00*
13. वास्तविक वसूली	-1.16	...	-1.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम	**3573.14**	**...**	**3573.14**	**3806.02**	**...**	**3806.02**	**3778.00**	**...**	**3778.00**	**3810.02**	**...**	**3810.02**
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**3573.14**	**...**	**3573.14**	**3806.02**	**...**	**3806.02**	**3778.00**	**...**	**3778.00**	**3810.02**	**...**	**3810.02**
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान												
14. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान	1510.70	...	1510.70	1800.00	...	1800.00	1820.00	...	1820.00	2662.55	...	2662.55
15. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के खण्ड क के तहत असम सरकार का अनुदान	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान	**1510.70**	**...**	**1510.70**	**1800.01**	**...**	**1800.01**	**1820.00**	**...**	**1820.00**	**2662.56**	**...**	**2662.56**
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**1510.70**	**...**	**1510.70**	**1800.01**	**...**	**1800.01**	**1820.00**	**...**	**1820.00**	**2662.56**	**...**	**2662.56**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	***5261.63***	***55.00***	***5316.63***	***5935.00***	***65.00***	***6000.00***	***5935.00***	***65.00***	***6000.00***	***6814.96***	***80.00***	***6894.96***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	281.51	...	281.51	371.32	...	371.32	360.50	...	360.50	419.18	...	419.18
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22.11	...	22.11	27.76	...	27.76	27.76	...	27.76	30.50	...	30.50
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	55.00	55.00	...	65.00	65.00	...	65.00	65.00	...	80.00	80.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**303.62**	**55.00**	**358.62**	**399.08**	**65.00**	**464.08**	**388.26**	**65.00**	**453.26**	**449.68**	**80.00**	**529.68**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	706.01	...	706.01
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	4958.01	...	4958.01	4934.90	...	4934.90	4946.74	...	4946.74	5659.24	...	5659.24
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	1.02	...	1.02	...	...	...	0.03	...	0.03
जोड़-अन्य	**4958.01**	**...**	**4958.01**	**5535.92**	**...**	**5535.92**	**5546.74**	**...**	**5546.74**	**6365.28**	**...**	**6365.28**
कुल जोड़	**5261.63**	**55.00**	**5316.63**	**5935.00**	**65.00**	**6000.00**	**5935.00**	**65.00**	**6000.00**	**6814.96**	**80.00**	**6894.96**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग:** प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिवालय व्यय के लिए है।

3. **अजजा के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:** भारत में उच्च शिक्षा अर्थात् एम.फिल तथा पी.एच.डी. के साथ-साथ अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से चिह्नित उच्च शिक्षण संस्थाओं में व्यवसायिक पाठ्यक्रम ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. **विदेश में अध्ययन हेतु अजजा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति:** चयनित अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को विदेश में स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तथा डॉक्टरोत्तर अध्ययन करने के लिए भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

5. **राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति एवं वित्त विकास निगम को समर्थन:** है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी सहायता राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफ़डीसी) को प्रदान की जाती है जो चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय योजनाओं/परियोजनाओं पर अनन्य ध्यान देता है

6. **जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन (ट्राइफेड आदि):** अनुसूचित जनजातियों की विपणन सहायता तथा आजीविका गतिविधियों के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड तथा राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों आदि को भी सहायता अनुदान दिए जाते हैं।

7. **अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता:** अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु सहज वातावरण प्रदान करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका आदि क्षेत्रों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने तथा सेवा रहित जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता अनुदान दिया जाता है।

8. **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय:** देश के सभी क्षेत्रों और अधिवासों में शिक्षा के संवर्धन के लिए गुणवत्ता परक आवासीय विद्यालय स्थापित करने की प्रवृति के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के विद्यार्थियों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का स्थान जवाहर नवोदय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों तथा केंद्रीय विद्यालयों के बीच है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के विद्यार्थियों को मिडिल तथा उच्च-स्तरीय गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है, जो उन्हें न केवल उच्च तथा पेशेवर शैक्षिक पाठ्यक्रमों और सरकारी तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाती है, अपितु उन्हें गैर-अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बराबर शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच भी प्रदान करती है।

9. **जनजातीय शिक्षा:** अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी (अंब्रेला) योजना का उद्देश्य अ.ज.जा. बच्चों की शिक्षा के गंभीर अंतरों को भरना है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के वित्तीय बोझ को कम करने तथा शिक्षा की बेहतर पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से कैफेटेरिया मोड के माध्यम से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहले के वर्षों के लिए आबंटन क्र.सं.9.06 पर दर्शाई गई समावेशी (अंब्रेला) स्कीम के लिए ही उपलब्ध है।

10. **वन बंधु कल्याण योजना:** इस योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के संपूर्ण विकास हेतु विभिन्न उपायों के लिए प्रावधान किए गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों को उनकी संस्कृति एवं विरासत को बनाए रखते हुए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक तरीके से विकास के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। स्थानीय स्तर पर आवश्यक अवसंरचना के साथ लघु वन उत्पाद (एमएसपी) संग्रहकर्ता जो प्राथमिक रूप से

अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं, की सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में उनके द्वारा एकत्रित चिह्नित लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से उचित लाभ सुनिश्चित किया जाता है। यह योजना अनुसूची-V क्षेत्रों वाले राज्यों में कार्यान्वित की जाती हैं।अनुसंधान/मूल्यांकन परियोजनाओं, संगोष्ठी/कार्यशालाओं तथा पुस्तकों के प्रकाशन, जनजातीय लोगों से संबंधित मुद्दों के लिए भी अनुदान दिये जाते हैं। उत्कृष्टता के केन्द्रों की देश में जनजातियों के विकास के लिए लंबी अवधि वाले तथा नीति उन्मुख अनुसंधान अध्ययनों के लिए उन्हें शामिल करने हेतु पहचान की गई है। योजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन एवं इस मंत्रालय की परियोजनाओं पर व्यय के लिए प्रावधान किए गये हैं।

11. **विशेष केंद्रीय सहायता:** जनजाति कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को राज्य जनजाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में अनुदान सहायता को बढ़ाकर प्रतिपूर्ति करने का प्रयास कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय 23 टीएसपी राज्यों को अनुदान प्रदान करता है। मूलभूत सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित रोजगार-सह-आय सृजन गतिविधियों और अवसंरचना कार्य को लागू किया जा रहा है। टीएसपी को एससीए प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य जनजातिय क्षेत्रों में मांग आधारित आय-सृजन कार्यक्रमों को मजबूत करना और इस प्रकार जनजाति समूहों का आर्थिक और सामाजिक स्तर को उठाना है।

12. **जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए सहायता:** अनुसंधान तथा मूर्त व अमूर्त विरासत के प्रलेखन, जनजातीय लोगों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उन्हें सुदृढ़ करने तथा जनजातीय संग्रहालयों के सुदृढ़ीकरण, जनजातीय त्यौहारों के आयोजन आदि के माध्यम से जनजातीय संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

14. **संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान:** इस प्रावधान के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर का शेष राज्य के बराबर उत्थान के लिए जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाएं सृजित करने के लिए 23 टीएसपी राज्यों और 4 जनजातीय बहुल्य राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं ताकि, उन्हें विकसित क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके। अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता, परियोजना आधारित है तथा अनुसूचित जनजातियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित करने/संचालन के लिए निधि पोषित भी किया जाता है।

15. **संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के खण्ड क के तहत असम सरकार का अनुदान:** संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के उप-नियम (क) के तहत असम सरकार को अनुदान का प्रावधान है।